न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 10 / 2018

अपीलांट्स–   *बनाम*

1. दोलाराम पुत्र गंगाराम
2. डुंगरराम पुत्र गंगाराम
3. श्रीमती धापू पत्नि गंगाराम
   जाति जाट निवासी निम्बली, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार सिणधरी
2. उमाराम पुत्र गोकलाराम
3. जुगताराम पुत्र गोकलाराम
4. पदमाराम पुत्र गोकलाराम
5. पुनमाराम पुत्र गोकलाराम
6. अर्जुनराम पुत्र अचलाराम
7. धर्मी पत्नि अचलाराम
   जाति जाट निवासी निम्बली, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
8. जगमालराम पुत्र जोधाराम
9. चेतनराम पुत्र जोराराम
10. चेनाराम पुत्र जोराराम
    जाति जाट निवासी लुखो का तला (सरली), तहसील व जिला बाड़मेर
11. रतनाराम पुत्र आईदानराम
12. गोरधनराम पुत्र आईदानराम
13. दुर्गाराम पुत्र आईदानराम
14. तीजो पत्नि आईदानराम
    जाति जाट निवासी निम्बली, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
15. भेराराम पुत्र तुलछाराम
16. खरथाराम पुत्र तुलछाराम
17. गिरधारीलाल पुत्र तुलछाराम

[illegible] पत्नि तुलछाराम

[illegible] पुत्र [illegible]

20. [illegible] पुत्र उदाराम
21. [illegible]राम पुत्र उदाराम
22. चेनाराम पुत्र करनाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

23. सताराम पुत्र करनाराम
24. भोमाराम पुत्र चुनाराम
25. लाछी पत्नि चुनाराम
    जाति जाट निवासी लुखो का तला (सरली), तहसील व जिला बाड़मेर
26. तिलाराम पुत्र चुनाराम
27. जीयाराम पुत्र चुनाराम
28. भारमलराम पुत्र देदाराम
    जाति जाट निवासी निम्बली, तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक : 576 दिनांक 27.06.2015 जो की संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री नृसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री मोहनलाल चौधरी, रेस्पोडेंट सं. 1,5,7,10 व 18 की ओर से उपस्थित।
3. श्री जोगराज पोटलिया, रेस्पोडेंट सं. 11 से 14 व 16 से 19 की ओर से उपस्थित।
4. श्री चेनाराम सारण, रेस्पोडेंट सं. 22 से 28 की ओर से उपस्थित।
5. रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रफोर्मा पक्षकार।
6. शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

निर्णय

दिनांक : 04/02/2021

1. अपीलांट्स्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक [illegible]15 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:33 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा निम्बली के खेत खसरा नम्बर 77 व 87 रकबा क्रमशः 36–17, 70–13 बीघा भूमि के

जिला कलक्टर
बाड़मेर

खातेदारान ने प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.2015 तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी पायला खुर्द द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही है एवं मौके पर खातेदारान विभाजन प्रस्ताव अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 576 दिनांक 27.06.2015 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.01.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलकर्ता एवं रेस्पोडेंट्स सं. 02 से 28 ने संयुक्त खातेदारी की कृषि जोत का विभाजन सहमति से करवाना तय किया गया। इस हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क कर कदीमी मौका कब्जा–काश्त अनुसार बंटवाड़ा कराने हेतु विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया तथा हल्का [illegible] उसके द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव अनुसार विभाजन करने [illegible] सहमति इकरारनामा व नक्शा के साथ तहसीलदार सिणधरी के [illegible] पेश हुए। अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति पारित करने से पूर्व रेस्पोडेंट संख्या [illegible] ने अपीलांट्स को तलब कर नक्शे में आवंटित भूभाग की स्थिति से अवगत करवाया तथा विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलांट्स के कब्जे काश्त के अनुसार होने की सहमति दी गई लेकिन दिनांक 27.06.2015 की पालना में 17.05.2017 के बाद नक्शे में हल्का पटवारी द्वारा जो तरमीम की गई, वह विभाजन के समय प्रस्तुत किये गये रंगीन नक्शा से भिन्न रेस्पोडेंट्स सं. 11 से 19 से मिलिभगत कर नक्शा में काट–छांट कर संशोधित कर दी। तहसीलदार सिणधरी द्वारा स्वीकृत विभाजन आदेश का राजस्व रेकर्ड में जरीये नामान्तरकरण सं. 367 दिनांक 27.06.2015 को कर दिया था, किन्तु इसकी लट्ठा में तरमीम 17.05.2017 तक नहीं की गई, जिस बाबत अपीलांट्स द्वारा हल्का पटवारी से लट्ठा ट्रेस की नकल मांगी गई तो बिना विभाजन संयुक्त खसरे की नकल दी गई। इस प्रकार विभाजन के साथ प्रस्तुत नक्शा में 02 साल बाद कांट–छांट कर तरमीम की गई है। इससे यह प्रमाणित है कि यह सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित हुई है, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना कर, बंटवाड़ा एवं नामान्तरकरण पारित करने एवं नक्शा मे तरमीम करने मे राजस्व नियमावली की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा का इकरारनामा पर पारित आदेश एवं बंटवाड़ा का नामान्तरकरण व नक्शा मे की गई तरमीम काबिल अपास्त है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

5. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान सर्वप्रथम जब रेस्पोडेंट सं. 11 से 19 व 2 से 10 ने धमकी दी की आपके कब्जे काश्त की भूमी व रहवासीय ढ़ाणी रेस्पोडेट्स के भू–भाग में आ गई है, जिसे हटाया जाएगा। इस पर संबंधित राजस्व आदेश की नकलें प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 22.12. 2017 को प्रस्तुत किया जो दिनांक 26.12.2017 को नकलें प्राप्त हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से यह अपील अन्दर मयाद पेश है। यद्यपि सम्यक तत्परता व सद्भावना से पेश की है फिर भी कानूनी प्रावधानों की पूर्ति हेत धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलाधीन विभाजन आदेश दिनांक 27.06.2015 निरस्त कर विवादित आराजी का मौके पर पक्षकारान की सहमति एवं कब्जे–काश्त अनुसार बंटवाड़ा करने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट्स सं. 11 से 19 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि दिनांक 27.06.2015 को राजस्व केम्प न्याय आपके द्वार में अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी पूर्ण सहमती के द्वारा संयुक्त खातेदारी का विभाजन करने हेतु प्रार्थना–पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। समस्त खातेदारों ने इस पर अपनी सहमती प्रकट कर दी तथा सहमती के आधार पर हस्ताक्षर अंगुष्ठ निशान किये एवं नक्शें में भी रंग मौके की स्थिति अनुसार अंकित कर सहमती के स्वरूप हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान अंकित किये। पक्षकारान के मध्य रकबे को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं है और बटवांड़ा मौके व कब्जे अनुसार किया गया। अपीलांट्स द्वारा यह अपील लगभग तीन साल बाद पेश की गई है जो मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अपीलांट्स ने यह अपील शेष पक्षकारान की ओर से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नेखाबंदी की पत्रावली व रास्ते की पत्रावली को रोकने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है जो मयाद बाहर व सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज करने का आदेश फरमावें।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.2015 तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले [illegible] का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तावित विभाजन अनुसार भूमि आपसी रजामंदी अनुसार प्रदान की गई हैं। इस विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तुत नक्शा में पक्षकारान के हिस्से की स्थिति दर्शाने हेतु नजरीया नक्शा है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

जिसका राजस्व रेकर्ड मे अंकन हेतु मौके पर पैमाईश की जाकर रेकर्ड मे दर्ज रकबा अनुसार तरमीम का अंकन किया जाना हैं। उक्त विभाजन नक्शा का अवलोकन करने से खसरा नं. 77 का विभाजन पूर्व में भिन्न प्रकार से होना एवं बाद में संशोधन कर भिन्न प्रकार से रंग भरा जाना प्रतीत होता है। अपीलांट्स के अधिवक्ता का भी यह कथन हैं कि विभाजन के समय नक्शा में खड़ी लाईने बनाकर रंग भरा गया था, बाद में उस नक्शा में आडी लाईने बनाकर अलग से रंग भरा गया है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान ने अधिनस्थ तहसीलदार सिणधरी के समक्ष धारा 53(2)(i) के तहत सहमति इकरारनामा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया हैं तथा तहसीलदार सिणधरी द्वारा इस इकरारनामा को अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया हैं, किन्तु उक्त विभाजन नक्शा में कांट–छांट होने से पक्षकारान की स्वतंत्र सहमती संदिग्ध प्रकट होती है। जैसा कि अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया गया है कि पक्षकारान द्वारा उक्त विभाजन कराने के बाद अपने–अपने हिस्से की भूमि के खातेदार दर्ज हो जाने के 2 वर्ष बाद राजस्व रेकर्ड में फेरबदल कर तरमीम भिन्न दर्ज कर दी है। यद्यपि अपीलाधीन कार्यवाही अपीलांट्स की सहमति से निष्पादित होना अभिलेख पर है किन्तु इस विभाजन के फलस्वरूप पक्षकारान के बीच नक्शे में खसरा नं. 77 की विभाजन तरमीम सही नहीं होने से कब्जे–काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है तथा वास्तविक स्थिति की जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए क्षमा किया जाना हम उचित मानते है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नही करने से उक्त विभाजन के संलग्न विभाजन नक्शा दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 27.06.2015 के भाग खसरा नं. 77 के प्रस्तावित तरमीम नक्शा को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सिणधरी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन नक्शा स्वीकृत कर तरमीम का अंकन करने की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:02:33 IST
Reason: SelfAttested